

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या : 167/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 4th फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री नीरज कुमार सिंह पुत्र श्री छैल बिहारी सिंह,
2. श्रीमती गायत्री पत्नी श्री नीरज कुमार सिंह,

पता:- फ्लेट नं. L-A/V/41, पंचम तल, एलआईजी टॉवर, ब्लॉक ए, वसुन्धरा कुटुम्ब, खसरा संख्या 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1 और 78/2111, ग्राम बीलवा कलां, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.03.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गायत्री के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नं. L-A/V/41, पंचम तल, एलआईजी टॉवर, ब्लॉक ए, वसुन्धरा कुटुम्ब, खसरा संख्या 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1 और 78/2111, ग्राम बीलवा कलां, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 550 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 11,93,500/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 11,93,500/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,45,871/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.05.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती गायत्री के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति फ्लेट नं. L-A/V/41, पंचम तल, एलआईजी टॉवर, ब्लॉक ए, वसुन्धरा कुटुम्ब, खसरा संख्या 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1 और 78/2111, ग्राम बीलवा कलां, चोखी ढाणी के पास, टोंक रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 550 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल व फतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कानून) जयपुर (ग्रामीण)